

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2771
बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएलआई योजना के अंतर्गत सौर मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता

2771. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के चरण-I और चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत कुल विनिर्माण क्षमता (गीगावाट) में कितनी है;
- (ख) दोनों चरणों के अंतर्गत चयनित कंपनियों या संस्थाओं की संख्या कितनी है और उनके प्रस्तावित विनिर्माण स्थान राज्य-वार क्या है;
- (ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और स्वीकृत विनिर्माण क्षमताओं के कब तक लागू होने की संभावना है; और
- (घ) इस योजना से सौर पीवी मॉड्यूल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान मिलने की उम्मीद है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) और (ख): उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के चरण-I के अंतर्गत, 8.737 गीगावाट की पूर्णतः एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए तीन सफल बोलीदाताओं को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। चरण-II के अंतर्गत, 39.6 गीगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए ग्यारह सफल बोलीदाताओं को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत चयनित कंपनियाँ भारत में कहीं भी अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत चयनित कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार, उनके सौर पीवी विनिर्माण संयंत्रों के संबंध में राज्यों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।
- (ग) आवंटित परियोजनाओं के कुछ भाग कार्यशील हो चुके हैं। मॉडलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) और निर्माताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार पीएलआई योजना के तहत स्थापित सौर विनिर्माण क्षमताओं में 18.5 गीगावाट सौर मॉड्यूल, 9.7 गीगावाट सौर सेल और 2.2 गीगावाट इंगोट-वेफर शामिल हैं। सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की उपरोक्त विनिर्माण क्षमता में 3.2 गीगावाट पूरी तरह से एकीकृत थिन फिल्म सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता शामिल है। आवंटित सौर पीवी विनिर्माण क्षमताओं के कार्यशील होने की तिथि भूमि अधिग्रहण, वित्तीय क्लोजर, पूंजीगत

उपकरणों के आर्डर और खरीद, संस्थापना तथा चालू होने आदि के लिए अपेक्षित समय जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है और इसके लिए कोई नियत तिथि अथवा अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

- (घ) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है और इस प्रकार सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए आयात निर्भरता को कम करना है। दिनांक 28.04.2021 को, एमएनआरई ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल (चरण- I) के लिए पीएलआई योजना हेतु योजना दिशानिर्देश जारी किए। वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डेटा बैंक से संबंधित वेबसाइट के अनुसार, भारत में सौर मॉड्यूल आयात वित्त वर्ष 2021-22 में 3363.21 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 2,151.75 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

अनुलग्नक-1

‘पीएलआई योजना के अंतर्गत सौर मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2771 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

क्र. सं.	कंपनी का नाम/एसपीवी	विनिर्माण इकाई (ओं) का स्थान
उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना का चरण-I		
1	शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल लिमिटेड/ इंडोसोल सोलर प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
2	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात
3	अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात
उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना का चरण-II		
1	इंडोसोल सोलर प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
2	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात
3	एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
4	वारी एनर्जीज लिमिटेड/संगम सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात, महाराष्ट्र
5	अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
6	रीन्यू फोटोवोल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान, गुजरात
7	जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	राजस्थान
8	गू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
9	वीएसएल ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
10	एम्पिन सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड	ओडिशा
11	टीपी सोलर लिमिटेड	तमिलनाडु
